

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0, जयपुर

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/ग्रुप-9/

दिनांक:-

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 9 के नियम 56 के तहत निम्न सहायक कृषि अधिकारी जो कि अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित दिनांक को सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध:-

10. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
11. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
12. कोई न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम
1	श्री बंशी लाल भाम्बी	13.03.1958	31.03.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) प्रतापगढ़
2	श्री दिनेश कुमार आलमचन्दानी	10.06.1958	30.06.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) मेडता सिटी
3	श्री फतह लाल विजयवर्गीय	01.09.1958	31.08.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) नाथद्वारा
4	श्री गोकल सिंह चौहान	01.01.1959	31.12.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) नाथद्वारा

सेवानिवृत्त होने की दिनांक तक यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई जांच प्रकरण लम्बित हो जाता है या कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन हो जाती है तो उसकी सूचना तुरन्त आयुक्तालय को प्रेषित कर, जारी किये गये जांच बकाया नही के प्रमाण पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करावें।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।



(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:-प.2(सब)/ जी-39/आ0कृ0/ग्रुप-9/ 5502-16

दिनांक:- 31-1-2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) उदयपुर/सीकर/भीलवाडा।
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि0 प0 प्रतापगढ/नागौर/राजसंमद/
- 3 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)प्रतापगढ/मेडता सिटी/नाथद्वारा/
- 4 एनालिस्ट कम प्रोगामर,मुख्यालय जयपुर को विभागीय वैवसाइट को अपलोड करने हेतु।
- 5 संबंधित कार्मिक -----
- 6 .आरक्षित पंजिका।



(उदयभान सिंह)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0, जयपुर

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/गुप-9/

दिनांक:-

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 9 के नियम 56 के तहत निम्न सहायक कृषि अधिकारी जो कि अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित दिनांक को सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध:-

7. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
8. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
9. कोई न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम
1	श्री धमेन्द्र वर्मा (जाट)	23.04.1958	30.04.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) बडगांव
2	श्री रामगोपाल टांक	01.06.1958	31.05.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) गुलाबपुरा
3	श्री दुर्गालाल बेरवा	15.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) गुलाबपुरा
4	श्री देवी लाल कोली	2.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) ब्यावर
5	श्री नूर मोहम्मद खॉं	01.01.1959	31.12.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) गुलाबपुरा

सेवानिवृत्त होने की दिनांक तक यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई जांच प्रकरण लम्बित हो जाता है या कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन हो जाती है तो उसकी सूचना तुरन्त आयुक्तालय को प्रेषित कर, जारी किये गये जांच बकाया नहीं के प्रमाण पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करावें।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।



(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक:-प.2(सब)/ जी-39/आ0कृ0/गुप-9/ 5517-33

दिनांक:- 31-1-2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जयपुर/उदयपुर/भीलवाडा।
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि0 प0 जयपुर/अजमेर/ उदयपुर / भीलवाडा।
3. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)बडगावं/गुलाबपुरा/ब्यावर।
4. एनालिस्ट कम प्रोगामर,मुख्यालय जयपुर को विभागीय वैवसाइट को अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कार्मिक -----
6. आरक्षित पंजिका।


(उदयभान सिंह)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)